भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1664
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पीडीएनए रिपोर्ट

†1664. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वायनाड (मेप्पडी-चूरलमाला) भूस्खलन आपदा के संबंध में केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) पीडीएनए के आधार पर राज्य द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष या किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत अब तक कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ग) बकाया राशि, यदि कोई हो, कितनी है और विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आजीविका बहाली हेतु शेष सहायता समयबद्ध तरीके से जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या केरल को आपदा संबंधी सहायता ऋण के बजाय अनुदान के रूप में जारी करने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ड़) : राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के रिकवरी और पुनर्निर्माण (R&R) फंडिंग विंडो के तहत सहायता दिनांक14.08.2024 को जारी किए गए विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देशों के द्वारा नियंत्रित होती है।

ये दिशानिर्देश नुकसान के लिए वित्तीय सहायता के लिए वस्तुओं और मानदंडों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विवरण प्रदान करते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार से केंद्र सरकार को प्राप्त

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1664 दिनांक 10.02.2026

आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (PDNA) रिपोर्ट पर उक्त दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए कार्रवाई की जाती है।

दिनांक 30 जुलाई 2024 को वायनाड (मेप्पाडी-चूरलमाला) में आए भूस्खलन के बाद, केरल राज्य द्वारा NDRF के रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से 2221.029 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का दावा करते हुए प्रस्तुत PDNA रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिनांक 13.11.2024 को प्राप्त हुई।

राज्य के प्रस्ताव की जांच करने के बाद, केंद्र सरकार ने दिशानिर्देशों के अनुसार रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए 260.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है और राज्य को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आजीविका से संबंधित कुछ गतिविधियों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता लेने की भी सलाह दी है। रिकवरी और पुनर्निर्माण दिशानिर्देशों के अनुसार, NDRF के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन विंडो से स्वीकृत सहायता 30%, 40% और 30% की तीन किस्तों में जारी की जाती है, बशर्ते पहले जारी की गई राशि का 75% उपयोग किया गया हो। तदनुसार, पहली किस्त 76.16 करोड़ रुपये (260.56 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि का 30%) दिनांक 17.11.2025 को जारी की गई है। बाद की किस्तों को जारी करने के लिए राज्य सरकार को पहले जारी की गई राशि के 75% का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब तक, केरल सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, वायनाड भूस्खलन के लिए पुनर्निर्माण और रिकवरी गतिविधियों के लिए, राज्य सरकार को 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI)' के तहत 529.50 करोड़ रुपये और SDRF/NDRF मानदंडों के अनुसार राहत और मोचन फंडिंग विंडो से 153.47 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना (NRMP) के तहत राज्य के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

***